ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

शराब कारोबार से
पशुपालन तक का प्रेरक सफर
(पृष्ठ – 02)

संघर्ष से
स्वावलंबन तक का सफर
(पृष्ठ – 03)

मजदूर से लखपति बनने तक की
प्रेरणादायक यात्रा
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – जुलाई 2025 ।। अंक – 48

सतत् जीविकोपार्जन योजना से आत्मविश्वास और उद्यमिता को मिला बढ़ावा

सतत् जीविकोपार्जन योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य अत्यंत निर्धन परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मुख्यधारा से जोड़ना है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए चलाई जा रही है, जो परंपरागत रूप से ताड़ी और देशी शराब के उत्पादन तथा बिक्री जैसे कार्यों में संलिप्त थे, या जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य अत्यंत कमजोर वर्गों से आते हैं।

योजना का विस्तार और उद्देश्य

31 मई 2018 को शुरू हुई इस योजना को वर्ष 2021 में तीन वर्षों के लिए और विस्तार दिया गया, और अब यह वित्तीय वर्ष 2026–27 तक लागू रहेगी। योजना के तहत प्रति परिवार को 60,000 से 2,00,000 रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। साथ ही, सात महीने तक 1,000 रूपये प्रतिमाह की जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि भी दी जाती है ताकि प्रारंभिक आजीविका स्थिर हो सके।

अब तक 2,01,218 अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन किया गया है, जिनमें से 1,96,558 परिवारों को आजीविका से संबंधित सहायता प्रदान की गई है और 2,00,862 लाभार्थियों के बैंक खाते खोले गए हैं। योजना के तहत 1,74,593 लाभार्थियों को राशन कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा गया है।

आत्मनिर्भरता की ओर प्रशिक्षण का महत्व

सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत चयनित परिवारों को तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें उन्हें उनकी क्षमता, समस्याएं, आजीविका की आकांक्षा, समूह की ताकत और सामाजिक सहयोग की भूमिका के बारे में बताया जाता है। इस प्रशिक्षण में उन्हें व्यापार की बुनियादी जानकारी जैसे बिक्री मूल्य निर्धारण, उधारी से बचाव, समय प्रबंधन, नकद प्रबंधन, मुनाफे का सही उपयोग, और जोखिम प्रबंधन जैसे विषयों पर भी जानकारी दी जाती है।

प्रशिक्षण के बाद, मास्टर संसाधन सेवियों के माध्यम से 5,878 ग्रामीण प्रशिक्षकों को चयनित कर 30–35 लाभार्थीयों एवं उनके उद्यमों की नियमित निगरानी की जा रही है। अब तक 2,00,862 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिनमें से 69,118 परिवारों ने दो या उससे अधिक व्यवसाय शुरू किए हैं।

परिणाम और सामाजिक परिवर्तन

प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग के परिणामस्वरूप लाभार्थी परिवारों की मासिक औसत आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उदाहरणस्वरूप 76,208 परिवारों ने बकरी पालन और अन्य पशुपालन, 1,18,782 ने माइक्रो इंटरप्राइज तथा 1,568 परिवारों ने कृषि के क्षेत्र में अपनी आजीविका आरंभ की है। आजीविका के साथ–साथ वे राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना, बीमा इत्यादि सरकारी सेवाओं से भी लाभान्वित हो रहे हैं।

शहरी क्षेत्रों में विस्तार

1 सितंबर 2022 से इस योजना को शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया गया है। अब तक 18,134 शहरी गरीब परिवारों का चयन कर उन्हें उद्यम संचालन हेतु प्रशिक्षित किया जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में भी सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से दो लाख रुपये तक की पूंजी निवेश सहायता और सात माह तक 1,000 रूपये प्रति माह की जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि दी जा रही है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना केवल एक आर्थिक सहायता योजना नहीं है, यह अत्यंत निर्धन परिवारों के जीवन में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना भरने का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। यह योजना न केवल आजीविका देती है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। सतत् जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से लाखों परिवार अब गरीबी के चक्र से बाहर निकलकर सम्मानजनक और सशक्त जीवन जी रहे हैं।

गीता ने आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ाया कदम

किशनगंज जिले के दिघलबैंक प्रखंड के हरुआडांगा गांव की गीता देवी, जो पहले मजदूरी कर किसी तरह जीवन यापन कर रही थीं, आज कपड़ा और किराना दुकान की मालिक हैं। कभी जिनकी आमदनी अनियमित और सीमित थी, वही महिला अब 2 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आमदनी कर रही हैं।

पति की बीमारी और फिर असमय मृत्यु के बाद उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया था। मजदूरी ही एकमात्र सहारा था, लेकिन वह भी नियमित नहीं मिलती थी। ऐसे कठिन समय में 'सतत् जीविकोपार्जन योजना' उनके जीवन में आशा की किरण बनकर आई। 'पूजा जीविका महिला ग्राम संगठन' के माध्यम से इस योजना से जुड़कर वर्ष 2020 में उन्होंने कपड़े की दुकान खोली।

दुकान में बिक्री बढ़ने पर उन्होंने मनिहारी का सामान भी रखना शुरू किया और साथ ही गांव में किराना दुकान भी खोल ली। अब वह आस–पास के हाटों में कपड़ा बेचने भी जाती हैं। इन दोनों दुकानों से उन्हें हर महीने 15,000 से 20,000 रूपये तक की आमदनी होती है।

धीरे–धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में स्थायित्व आया। उन्होंने पक्का मकान बनवाया, बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया और बेटी को स्नातक की पढ़ाई करवा रही हैं। दुकान की पूंजी अब 1.5 लाख रूपये से अधिक हो चुकी है और उन्होंने गुल्लक व बैंक में 50,000 रूपये से अधिक की बचत भी की है।

'सतत् जीविकोपार्जन योजना' के सहयोग से गीता देवी ने न सिर्फ अपने लिए एक स्थायी रोजगार खड़ा किया, बल्कि अपने पूरे परिवार को सम्मानपूर्ण जीवन दिया। यह कहानी बताती है कि सही समय पर मिले मार्गदर्शन और सहयोग से कोई भी महिला आत्मनिर्भर बन सकती है।

शराब कारोबार छोड़ पशुपालन करने का प्रेरक सफर

मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत हरिणमार पंचायत के सीमावर्ती गांव बहादुरपुर की कृष्णा देवी ने 'सतत् जीविकोपार्जन योजना' से जुड़कर अपने जीवन को नई दिशा दी है। पहले उनके पति गांव में देसी शराब बनाकर और बेचकर घर चलाते थे। शराबबंदी लागू होने के बाद उनकी आमदनी पूरी तरह बंद हो गई और परिवार गहरे आर्थिक संकट में आ गया। न कोई बचत थी, न ही वैकल्पिक आय का स्रोत।

वर्ष 2018 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई 'सतत् जीविकोपार्जन योजना' के अंतर्गत शराब और ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े अत्यंत गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें वैकल्पिक आजीविका से जोड़ा जा रहा था। कृष्णा देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए 'अनुराग जीविका महिला ग्राम संगठन' द्वारा उनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना में किया गया। योजना से जुड़ने के बाद उन्हें तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के उपरांत दीदी ने भैंस पालन की इच्छा जताई। इसके लिए उन्हें विशेष निवेश निधि के रूप में 10,000 रूपये की राशि भैंस रखने के लिए भू–संरचना तैयार करने हेतु दी गई। इसके बाद 50,000 रूपये की 'जीविकोपार्जन निवेश निधि' प्राप्त हुई। इस राशि से उन्होंने 40,000 रूपये में एक अच्छी नस्ल की भैंस खरीदी और शेष 10,000 रूपये से चारे की व्यवस्था की। साथ ही, सात महीने तक उन्हें 1,000 रूपये प्रति माह की जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि' भी दी गई।

वर्तमान में वह प्रतिदिन लगभग 8 लीटर दूध बेचती हैं, जिसकी दर 45 रूपये प्रति लीटर है। दूध की बिक्री से उनकी मासिक आमदनी 10,000 से 15,000 रूपये तक हो जाती है। अब वह अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे पा रही हैं और अपने परिवार के साथ एक सम्मानजनक और खुशहाल जीवन जी रही हैं। यह

बकरी पालन से आत्मनिर्भरता की ओर

दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत हथौड़ी दक्षिणी पंचायत के धोबोपुर गांव की तूनकी देवी, जो कभी गहरी आर्थिक तंगी में जीवन गुजार रही थीं, आज आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी हैं। पति की असमर्थता के कारण घर की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। परिवार की आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं था, और दो वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया था।

ऐसे समय में 'सतत् जीविकोपार्जन योजना उनके लिए संजीवनी साबित हुई। योजना के तहत उन्हें जीविकोपार्जन निवेश निधि एवं अन्य निधियों को मिलाकर कुल 82,400 रूपये की सहायता प्राप्त हुई। इस राशि से उन्होंने 'बकरी पालन' की शुरुआत की। अपनी मेहनत और समर्पण से उन्होंने इस व्यवसाय को धीरे–धीरे आगे बढ़ाया।

आज उनके पास लगभग 20 बकरियाँ हैं, जिनसे उन्हें दूध और बकरा बिक्री के माध्यम से नियमित आमदनी हो रही है। बकरी पालन अब उनके परिवार की आजीविका का प्रमुख स्रोत बन चुका है। इस आय से न सिर्फ उनका परिवार आर्थिक रूप से स्थिर हुआ है, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई–लिखाई पर भी ध्यान देना शुरू किया है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने उन्हें केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी, बल्कि आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। अब वह अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रही हैं, और दूसरे छोटे व्यापारों के अवसर भी तलाश रही हैं।

यह कहानी बताती है कि सही समय पर मिले सहयोग, योजनाबद्ध मेहनत और लगन से कोई भी महिला आत्मनिर्भर बन सकती है और समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बना सकती है।

संघर्ष से स्वावलंबन तक का सफर

जमुई जिले के पुरसंडा पंचायत के बालाडीह गांव की बबीता देवी का जीवन कभी अभावों और कठिनाइयों से घिरा हुआ था। उनके पति मजदूरी करते थे, लेकिन आय बहुत कम थी। परिवार पहाड़ों और जंगलों के तराई क्षेत्र में रहता था, जहाँ जीवन यापन का मुख्य स्रोत जंगल से लकड़ी काटकर बेचना था। इसके बावजूद उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिल पाती थी। दो बेटियों की माँ होने के नाते उनके सामने पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियाँ थीं।

वर्ष 2017 में जब गांव में जीविका समूह बनाने का कार्य शुरू हुआ, तो एक दीदी ने उन्हें 'रौशनी जीविका स्वयं सहायता समूह' से जुड़ने की सलाह दी। उन्होंने सप्ताहिक बचत के साथ समूह से जुड़ाव बनाया। कुछ समय बाद उन्हें समूह से 15,000 रूपये का ऋण मिला, जिससे उन्होंने घर पर ही एक ठेला लेकर किराना और रोज़मर्रा के सामान की दुकान शुरू की।

धीरे–धीरे उनकी दुकान चलने लगी और प्रतिदिन लगभग 1,000 रूपये की बिक्री होने लगी। इस दौरान उनका चयन 'सतत् जीविकोपार्जन योजना' के अंतर्गत 'गरीब दीदी' के रूप में हुआ। योजना के अंतर्गत प्राप्त सहायता राशि को उन्होंने उसी दुकान में पुनर्निवेश किया और अपनी दुकान को और बड़ा कर लिया।

आज उनकी दुकान सफलतापूर्वक चल रही है। अब वह अपने बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से कर पा रही हैं और भविष्य के लिए बचत भी कर रही हैं।

उनकी कहानी यह संदेश देती है कि गरीबी चाहे जितनी भी गहरी हो, अगर धैर्य और सही दिशा मिले, तो कोई भी महिला आत्मनिर्भर बन सकती है और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार कर सकती है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने बदली तस्वीर : मजदूर से लखपति बनने तक की प्रेरणादायक यात्रा

बिहार सरकार द्वारा संचालित 'सतत् जीविकोपार्जन योजना' अत्यंत निर्धन और बेसहारा परिवारों के लिए आशा की किरण बन चुकी है। यह योजना ना केवल गरीबों को आजीविका से जोड़ती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की दिशा में भी कार्य करती है। लखीसराय जिले के लखीसराय प्रखंड अंतर्गत रामनगर गांव की रिंकू देवी की कहानी इस योजना की सफलता की जीवंत मिसाल है।

पति अशोक तांती की असमय मृत्यु के बाद उनका जीवन पूरी तरह अंधकार में डूब गया था। उनके पति तमिलनाडु में मजदूरी करते थे, जहां ब्रेन हैमरेज से उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद दो बेटियां और दो बेटे का भरण–पोषण की जिम्मेवारी रिंकू दीदी पर आ गया। शुरुआत में ससुर और देवर ने कुछ माह तक भोजन की व्यवस्था की, लेकिन जल्द ही उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। मायके से भी कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिल सका। ऐसे में रिंकू देवी ने अपने 10 वर्षीय बेटा के साथ खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। नौ साल की बेटी भी मजदूरी में उनका हाथ बंटाने लगी।

इस कठिन दौर में 'शिवम् जीविका स्वयं सहायता समूह' से वर्ष 2017 में उनका जुड़ाव हुआ। मजदूरी के थोड़े–बहुत पैसे से वह प्रति सप्ताह 10 की बचत करने लगीं। जीविका की बैठक में उनकी गरीबी और स्थिति को देखते हुए 'सोनम जीविका महिला ग्राम संगठन' ने उन्हें 'सतत् जीविकोपार्जन योजना' के अंतर्गत जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया।

अगस्त 2019 में योजना के अंतर्गत उन्हें पहली किस्त में 20,000 रूपये जीविकोपार्जन निवेश निधि, 10,000 रूपये विशेष निवेश निधि और सात माह तक 1,000 रूपये जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि प्राप्त हुई। इस सहयोग राशि से उन्होंने अपने घर में मनिहारी दुकान शुरू की। दुकान चल निकली, तो उन्होंने अपने मुनाफे से 'किराना दुकान' भी खोल ली।

व्यवसाय की प्रगति को देखते हुए दूसरी किस्त के रूप में 14,400 की राशि मिली, जिससे उन्होंने एक सिलाई मशीन खरीदी और सिलाई केंद्र भी आरंभ किया। बाद में उन्हें योजना के तहत तीसरी किस्त में 22,500 और प्राप्त हुए, जिससे उन्होंने अपने तीनों व्यवसायों का विस्तार किया।

आज उनकी कुल परिसंपत्ति 1,20,000 रूपये से अधिक है। मनिहारी, किराना और सिलाई, इन तीनों कार्यों से उन्हें हर महीने 9,000–10,000 रूपये तक की आमदनी हो रही है। उनका बेटा अब बी.ए अंतिम वर्ष में पढ़ रहा है, बेटी इंटर में है, और दो छोटे बच्चे क्रमश : 9वीं और 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं।

सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड और आवास योजना का भी लाभ मिल चुका है।

पति की मृत्यु और ससुराल से बेदखली के बाद जो महिला पूरी तरह बेसहारा हो गई थी, वह आज 'लखपति दीदी' के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि हौसले बुलंद हों और सही मार्गदर्शन मिले, तो कोई भी महिला अपने परिवार को संकट से निकाल कर सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर हो सकती है।

रिंकू देवी अब न सिर्फ अपने परिवार का सहारा हैं, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए 'सशक्तिकरण' की प्रेरणा बन चुकी हैं। 'सतत् जीविकोपार्जन योजना' उनके जीवन में बदलाव की वो नींव बनी, जिससे उन्होंने आत्मनिर्भरता की मजबूत इमारत खड़ी कर दी।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – राज्य परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, नवादा
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार